HES-4-OTHE/32/2023-XXIV-C-4-Higher Education Department

475/2024

सेवा 7
13/06/24

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–1/217475/XXIV-C-4/2024-05(04)/2017(E-58008)
देहरादूनः दिनांक 12 जून, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विनियम, 2018 के नियम 8.4.9 में महिला कार्मिकों के लिए बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था हैः–

"Women teacher having minor children may be granted leave up to two years for taking care of their minor children. Child care leave for maximum period of two year (730 days) may be granted to the women teacher during entire service period in lines with Central Government women employees. In the cased, where the child care leave is granted more that 45 days, the University/College/Institution may appoint a part time/guest substitute teacher with intimation to the UGC."

2– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–126942/ XXVII(7)/ई0–19943/2022, दिनांक 01.06.2023 के क्रम में यू0जी0सी0 से आच्छादित पदों पर कार्यरत कार्मिकों/एकल अभिभावकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किये जाने संबंधी उच्च शिक्षा अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–418/XXIV(7)/45(4)/2011, दिनांक 06 जून, 2012 को अधिक्रमित करते हुए यू0जी0सी0 से आच्छादित कार्मिकों/एकल अभिभावकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– बाल्य देखभाल अवकाश आवेदन के समय पाल्य का प्रमाणित जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध/ प्रस्तुत करना होगा।

2 – शासनादेश संख्या–126942/XXVII(7)/ई0-19943/2022, दिनाँक 01 जून, 2023 के बिन्दु–5 में न्यूनतम 05 दिवस से कम अवधि एवं 120 दिवसों से अधिक स्वीकृत न किये जाने का प्राविधान है। उक्त के दृष्टिगत विभाग में अधितकतम 30 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश महाविद्यालय प्राचार्य स्तर से स्वीकृत किया जाएगा तथा 30 दिन से अधिक व 120 दिन तक की अवधि का अवकाश उच्च शिक्षा निदेशक स्तर से स्वीकृत किया जाएगा।

3– प्राध्यापक को महाविद्यालय से 30 दिन तक का अवकाश स्वीकृत कराने पर यदि उक्त के मध्य विस्तारण की आवश्यकता होती है तो उन्हें 30 दिन के उपरान्त महाविद्यालय में योगदान प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पुनः बाल्य देखभाल अवकाश महाविद्यालय/ निदेशालय से नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा परन्तु किसी भी दशा में पूर्व स्वीकृत बाल्य देखभाल अवकाश के क्रम में उसे विस्तारित करने का प्राविधान नहीं होगा।

4– 30 दिन तक की अवधि तक के लिये गये बाल्य देखभाल अवकाशों के दृष्टिगत शिक्षक को इस आशय का प्रमाण–पत्र अपने महाविद्यालय प्राचार्य को देना होगा कि अवकाश से लौटने के उपरान्त अपने विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेकर ससमय पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे।

475/2024

5— 30 दिन से अधिक व 120 दिन तक के बाल्य देखभाल अवकाश के क्रम में निदेशालय द्वारा उक्त अवधि हेतु सम्बन्धित विषय के वैकल्पिक शिक्षक की यथा आवश्यकता ऑनलाइन या भौतिक रूप से व्यवस्था/सम्बद्धता की जायेगी।

6— बिना प्राचार्य द्वारा अग्रसारित बाल्य देखभाल आवेदन पर निदेशालय स्तर पर विचार नहीं किया जायेगा।

7— कार्मिक को बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी अन्यथा सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा।

8— कार्य एवं संस्थाहित में बाल्य देखभाल अवकाश हेतु महाविद्यालय स्तर पर अर्ह कार्मिकों के संवर्ग में से 'एक ही समय' पर यथासम्भव 10 प्रतिशत से अधिक को बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

9— बाल्य देखभाल अवकाश हेतु कार्मिकों को कम से कम 07 दिवस पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र पर ही आवेदन करना होगा।

10— शेष शर्तें मूल शासनादेश संख्या—126942/XXVII(7)/ई0—19943/2022, दिनाँक 01.06.2023 एवं संख्या—188599/XXVII(7)/ई0—19943/2022, दिनाँक 08.02.2024 के अनुसार रहेंगी।

11— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विनियम, 2018 द्वारा अवकाश के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था उक्त सीमा तक प्रभावी होगी।

12— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—I/199651/ 2024/XXVII(7)/2024, दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 12-06-2024 11:37:10

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या—I/217475/XXIV-C-4/2024-05(4)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2—सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।

3—कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में तद्नुरूप संशोधन/ प्रावधान करने का कष्ट करें।

4—निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

5—समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।

6—वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी—द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।

7—अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को सूचित/अवगत कराने का कष्ट करें।

8—गार्ड फाईल।

Signed by Byomkesh Dubey
Date: 12-06-2024 13:15:53

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उपसचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ०सं०: 1085 /डिग्री सेवा–1/एक–19(45/03)/2024–25 दिनाँकः 13 जून, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी **द्वारा–सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य।**
3. वित्त/लेखा अनुभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय।
4. कार्यालय प्रति।

(डॉ0 अन्जु अग्रवाल)
प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)